

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी सुलतानपुर

विज्ञप्ति

जिला कोषागार सुलतानपुर से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि वे अपना जीवित प्रमाण पत्र फोटो सहित सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा प्रमाणित कराकर कोषागार में 15 दिसम्बर 2007 तक जमा करने का कष्ट करें। कोषागार में उपस्थित होने वाले पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र के साथ नवीनतम फोटो, पी०पी०ओ० तथा सम्बन्धित बैंक की खाता की किताब सहित ही उपस्थित होंगे। जीवित प्रमाण पत्र में फोटो अवश्य चस्पा की जाय। जीवित प्रमाण पत्र के अभाव में दिसम्बर माह की पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

वरिष्ठ कोषाधिकारी
सुलतानपुर।